न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 12/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/28

नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी वार्ड नं. 24 रायसिंहनगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं। प्रत्यर्थी के द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया।
2. अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का जवाब तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा पत्र क्रमांक/सूकाअ/24/3488 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर के संबंधित होने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कार्यालय के पत्रांक/सूकाअ/24/3484 दिनांक 15.03.2024 को भिजवा दिया गया था। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत कर नगरपालिका रायसिंहनगर की खांचा भूमि से संबंधित सूचना चाही गयी थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र नगरपालिका रायसिंहनगर को हस्तांतरित किया गया हैं। हम प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से सहमत हैं। अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

परन्तु लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करते, जबकि प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने के बाद आवेदन पत्र हस्तांतरित किया गया हैं। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:50:16 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़